धारा 6–ए प्रकरण सं0 50/2014 सरकार बनाम 1– अमित चौधरी, निवासी 78–पुराना बाजार सूरतगढ प्रो0 मै0 विकास इण्ड0 जी–1/102 रिको एरिया सूरतगढ़ 2–चालक ट्रेक्टर ट्राली पी.बी. 47–5489 हरभजनसिंह पुत्र लालचंद बावरी निवासी पीतर जी के मंदिर के पास, वार्ड न0 4 सूरतगढ़ 3–चालक ट्रेक्टर ट्राली पीबी 15ए–9682 सन्नीसिंह पुत्र रामकरण सिंह राजपूत, भावना स्कूल के पीछे वार्ड 4 सूरतगढ 4–विनोदकुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सरदारपुरा बीका, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07–11–2017

1– **पत्रावली पेश** हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत व श्री पूर्णराम घोड़ेला उपस्थित है। पक्षकारान की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– **विभागीय प्रतिनिधि** का कथन था कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ से सूचना मिलने पर दिनांक 12.07.14 को विजेन्द्र पाल प्रवर्तन निरीक्षक, सूरतगढ बहमराह देवेन्द्र आसेरी, प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेंहू के अवैध भण्डारण की जांच के लिए मै0 विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया, सूरतगढ पहुंचे तो मौके पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ व नायब तहसीलदार सूरतगढ मय जाब्ता उपस्थित मिले व समस्त कार्यवाही इनकी उपस्थिती में की गई। मौके पर अमित चौधरी, निवासी 78–पुराना बाजार सूरतगढ उपस्थित मिला तथा इन्होने स्वयं को मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया, सूरतगढ का प्रोपराईटर/मालिक होना बताया। मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के निरीक्षण में पाया कि फर्म द्वारा गेहू से आटा बनाने का कार्य किया जाता है। इनके द्वारा रामदेव भोग ब्राण्ड नाम से 5, 10, 20 व 50 कि.ग्रा. के बैग्स में आटा भरकर सूरतगढ व अन्य क्षेत्रो में विक्रय किया जाता है। इनकी फर्म द्वारा पिछले लगभग 6 वर्षो से यह कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर परिसर में आटा पिसाई कार्य हेतु कार्यरत हालात में चक्कीया भी लगी हुई पाई गई। मौके पर मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के गोदाम की जांच करने पर गोदाम में 330 कटट्े गेहूं के भरे हुये सीलबंद, एफसीआई मार्काशुदा मिले तथा 110 कट्टे गेंहू के एफसीआई मार्काशुदा ओर भी पाये गये। इस प्रकार इनके गोदाम में एफसीआई मार्का लगे हुये कुल 440 कट्टे पाये गये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उक्त गेहूं भारतीय खाद्य निगम नई धानमण्डी सूरतगढ के ऑपन कैम्प से गेट पास 14396/09 दिनांक 12.07.2014 द्वारा ट्रैक्टर ट्राली नम्बर पी.बी 47–5489 द्वारा भेजे जाने पाये जो आरएसडब्यूसी के कांटा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पर्ची के अनुसार सकल वजन 166.60 क्विं के है। 330 खाली कट्टो का वनज 665 ग्राम प्रति अनुसार कुल 2.15 क्विं. काटने के बाद शेष गेहूं का वजन 164.45 क्विं. होना पाया। तथा 110 कट्टो में 50 किलो प्रति कट्टा के हिसाब से 55 क्विं. गेहूं पाया गया। इस प्रकार फर्म के गोदाम में कुल 219.45 क्विं. गेहूं पाया गया। उक्त गेंहू के बारे में मालिक श्री अमित चौधरी पुत्र रतनलाल चौधरी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 330 कट्टे गेंहू उसके द्वारा विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका से प्राप्त किया है जो श्री विनोद कुमार ने उक्त 330 कट्टे गेंहू के भरे नई धान मण्डी सूरतगढ के एफसीआई के ऑपन कैंप से सीधे उनकी फर्म के गोदाम पर भेजे है। मौके पर गोदाम का नजरी नक्शा भी लिया गया। मौके पर पाये गये 110 कट्टे गेंहू के भरे हुए और भी पाये गये जो भी एससीआई मार्काशुदा है, के बारे में भी चौधरी द्वारा संतोषजनक उतर नही दिया गया। मौके पर उपस्थित ट्रैक्टर ट्राली चालक हरभजन सिंह पुत्र लालचंद बावरी, निवासी पीतर जी के मंदिर के पास, वार्ड न0 4, सूरतगढ ट्रैक्टर–ट्राली, पी. बी.47–5489 व सन्नी सिंह पुत्र रामकरण सिंह राजपूत, भावना स्कूल के पीछे वार्ड 4, सूरतगढ ट्रैक्टर ट्राली पी.बी. 15 ए –9682 के भी बयान लिये गये। दोनो चालको द्वारा अपने बयानों मे बताया गया कि उन्होने एक ट्रैक्टर में 220 कट्टे तथा दूसरे में 100 कटटे गेंहू के भरे हुए डालकर श्री अमित चौधरी के कहने पर मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया, सूरतगढ पर पहुचांना स्वीकार किया। इस पर केवीएसएस सूरतगढ के पीडीएस गेंहू प्रभारी धर्मवीर को बुलाया गया तो उसने बताया कि इसको ट्रैक्टर–ट्राली पी.बी. 47–5489 में गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.2014 द्वारा ड्राईवर हरभजन सिंह के साथ 330 कट्टों के साथ गेहूं के भरे हुये विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिये रवाना किया था। अतः मौके पर की गई पूछताछ से स्पष्ट है कि उनके साथ इस कृत्य में विनोद कुमार, उचित मूल्य दुकानदार, सरदारपुरा तहसील सूरतगढ भी मुख्य अभियुक्त है। वरवक्त मौका पर मिले 440 कट्टे पीडीएस गेहूं के भण्डारण व विक्रय करने संबधी दस्तावेजात के बारे मे पूछने पर श्री अमित चौधरी द्वारा ऐसा कोई अनुज्ञापत्र, परमिट व अनुज्ञापत्र उनके पास नही होना बताया। अतः मौके पर मिले उक्त 440 कटटे गेहूं शुद्ध वजन 219.45 क्विं को कालाबाजारी का मानते हूये जब्त किया जाकर श्री धर्मवीर पीडएस प्रभारी केवीएसएस सूरतगढ व कालाबाजारी के उक्त कृत्य हेतु उपयोग में लाये गये दोनो ट्रेक्टर ट्राली नम्बर क्रमशः पी.बी. 47–5789 व पी.बी. 15 ए–9682 को पुलिस थाना शहर सूरतगढ की सुपुर्दगी में दिया गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P1.6

3– **उनका आगे यह भी** कथन था कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना सूरतगढ़ में एक एफआईआर संख्या 342/2014 भी दर्ज करवाई गई। जिस पर मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराधिक प्रकरण संख्या 464/16 विचाराधीन है जिस पर मुख्य न्यायिक मजि0 द्वारा निर्णय किया जाना है और धारा 6ए के इस प्रकरण पर इस न्यायालय के द्वारा निर्णय किया जाना है। दोनो न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र अलग–2 है। **इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में अप्रार्थीगण जब तक दोषमुक्त नही हो जाते तब तक उसमें प्रस्तुत हुई किसी साक्ष्य/सामग्री का अपने पक्ष में लाभ नही ले सकते है।**

4– **उनका आगे यह** भी कथन था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी आदेश राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुच्छेद 3 के बिन्दु सं0 2 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है। अप्रार्थी अमित चौधरी मै0 विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया सूरतगढ़ से 330 कटटे गेहूं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है जो कि श्री विनोदकुमार, उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिए था और जिसे चालक ट्रेक्टर ट्राली पी.बी. 47–5489 श्री हरभजनसिंह व चालक ट्रेक्टर ट्राली पी.बी. 15ए–9682 श्री सन्नी सिंह ने आपसी मिलीभगत से अमित चौधरी की उक्त फैक्ट्री में पहुंचाया और जांच करने पर मौके पर उक्त 330 कटटे गेहूं व अन्य 110 कटटे गेहूं के पाये गये जो भारतीय खाद्य निगम का था, के संबंध में अमित चौधरी के पास कोई प्राधिकार पत्र नही पाया गया। इसलिए उक्त गेहूं राजसात करने योग्य है।

5– **उनका आगे** यह भी कथन था कि उक्त गेहूं श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार, सरदारपुरा बीका के लिए था जो उसने अवैद्य कारोबार के लिए उक्त दोनो वाहनो के द्वारा उक्त दोनो चालको के माध्यम से अमित चौधरी के उक्त मै0 विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया सूरतगढ को सहयोग कर राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 14 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत जब्त शुदा उक्त 440 कटटे गेहूं वजन 219.45 क्विन्टल एवं ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी47–5489 व पीबी 15ए–9682 को राजसात किया जावे और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

शर्मा
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

6– **इसके विपरीत** वाहन संख्या पीबी 47–5489 के स्वामी श्री लालचंद व वाहन संख्या पीबी 15ए–9682 के स्वामी श्री देवी सिंह जिन्हे इस न्यायालय के आदेश 22.05.17 के द्वारा अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है के अभिभाषक व अप्रार्थी सं0 1 अमित चौधरी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत का कथन था कि उक्त वाहन स्वामी किराये पर अपने ट्रेक्टर ट्राली का संचालन करते है और उस रोज सरदारपुरा बीका के उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा 330 कटटे गेहूं भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त करके उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचाने के लिए उनके ट्रेक्टर ट्राली को किराये पर लिया गया था एवं उनके ट्रेक्टर ट्राली के चालक गेहूं लादान करके सरदारपुरा बीका के लिए रवाना हो गये। अप्रार्थीगण के एक ट्रेक्टर ट्राली में 220 कटटे व दूसरे में 100 कटटे गेहूं था। मै0 विकास इण्स्ट्री जो कि बिल्कुल नई धानमण्डी के पास स्थित है के पास एक ट्रेक्टर के टायर में खराबी आ जाने के कारण ट्रेक्टर को रोका गया था इतने में ही निरीक्षण दल द्वारा इन ट्रेक्टरो को गेहूं सहित सीज कर लिया गया। इस प्रकार विकास इण्स्ट्रीज में गेहूं उतरवाने अथवा पहुंचाने में किसी प्रकार का सहयोग वाहन चालको का नही है। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे और उनके जब्त शुदा ट्रेक्टर ट्राली वापिस दिये जावे।

7– **उनका आगे** यह भी कथन था कि अप्रार्थी संख्या 1 **अमित चौधरी** द्वारा किसी प्रकार के नियन्त्रण आदेश की कोई उल्लंघना नही की गयी है। उसके द्वारा उचित मूल्य की दुकान सरदारपुरा बीका के उचित मूल्य दुकानदार से न तो कोई गेहूं खरीदा है और न ही एफ.सी.आई. के गेहूं से उसका कोई संबंध है। गेहूं जिसे एफ.सी.आई. से ट्रेक्टर ट्रालीयों में लादान कर उचित मूल्य की दुकान सरदारपुरा बीका के स्थान पर ले जाये जाने की बजाये अप्रार्थी की दुकान पर गेहूं उतारने का कथन बिलकुल मिथ्या व निराधार है। उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाया गया है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

8– **उनका आगे** वाहन चालक हरभजन सिंह व सन्नी सिंह की ओर से कथन था कि दिनांक 12.07.2014 को उनके ट्रेक्टर ट्राली इस कारण सीज किये गये है कि उनके द्वारा उचित मूल्य की दुकानो के लिए उठाया गया एफ.सी.आई. का गेहूं, मै0 विकास इण्डस्ट्रीज, रीको एरिया सूरतगढ पर उतारा गया है, सही नही है। जबकि उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया गया है। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में ट्रेक्टर ट्राली का न तो कोई हाथ है और न ही किसी प्रकार की कोई उल्लंघना की गयी है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इनके गोदाम में एफसीआई मार्का लगे हुये कुल 440 कट्टे पाये गये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उक्त गेहूं भारतीय खाद्य निगम नई धानमण्डी सूरतगढ के ऑपन कैम्प से गेट पास 14396/09 दिनांक 12.07.2014 द्वारा ट्रैक्टर ट्राली नम्बर पी.बी 47—5489 द्वारा भेजे जाने पाये जो आरएसडब्यूसी के कांटा पर्ची के अनुसार सकल वजन 166.60 क्विं के है। 330 खाली कट्टो का वनज 665 ग्राम प्रति अनुसार कुल 2.15 क्विं. काटने के बाद शेष गेहूं का वजन 164.45 क्विं. होना पाया। तथा 110 कट्टो में 50 किलो प्रति कट्टा के हिसाब से 55 क्विं. गेहूं पाया गया। इस प्रकार फर्म के गोदाम में कुल 219.45 क्विं. गेहूं पाया गया। उक्त गेंहू के बारे में मालिक श्री अमित चौधरी पुत्र रतनलाल चौधरी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 330 कट्टे गेंहू उसके द्वारा विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका से प्राप्त किया है जो श्री विनोद कुमार ने उक्त 330 कट्टे गेंहू के भरे नई धान मण्डी सूरतगढ के एफसीआई के ऑपन कैंप से सीधे उनकी फर्म के गोदाम पर भेजे है। मौके पर गोदाम का नजरी नक्शा भी लिया गया। मौके पर पाये गये 110 कट्टे गेंहू के भरे हुए और भी पाये गये जो भी एससीआई मार्काशुदा है, के बारे में भी चौधरी द्वारा संतोषजनक उतर नही दिया गया। मौके पर उपस्थित ट्रैक्टर ट्राली चालक हरभजन सिंह पुत्र लालचंद बावरी, निवासी पीतर जी के मंदिर के पास, वार्ड न0 4, सूरतगढ ट्रैक्टर—ट्राली, पी.बी.47—5489 व सन्नी सिंह पुत्र रामकरण सिंह राजपूत, भावना स्कूल के पीछे वार्ड 4, सूरतगढ ट्रैक्टर ट्राली पी.बी. 15 ए —9682 के भी बयान लिये गये। दोनो चालको द्वारा अपने बयानों मे बताया गया कि उन्होने एक ट्रैक्टर में 220 कट्टे तथा दूसरे में 100 कटटे गेंहू के भरे हुए डालकर श्री अमित चौधरी के कहने पर मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी—1/102 रिको एरिया, सूरतगढ पर पहुचांना स्वीकार किया। इस पर केवीएसएस सूरतगढ के पीडीएस गेंहू प्रभारी धर्मवीर को बुलाया गया उन्होने बताया कि उन्होने ट्रैक्टर—ट्राली, पी.बी.47—5489 में गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.2014 द्वारा ड्राईवर हरभजन सिंह के साथ 330 कट्टों के साथ गेहूं के भरे हुये विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिये रवाना किया था। अतः मौके पर की गई पूछताछ से स्पष्ट है कि उनके साथ इस कृत्य में विनोद कुमार, उचित मूल्य दुकानदार, सरदारपुरा तहसील सूरतगढ भी मुख्य अभियुक्त है। वरवक्त मौका पर मिले 440 कट्टे पीडीएस गेहूं के भण्डारण व विक्रय करने संबधी दस्तावेजात के बारे मे पूछने पर श्री अमित द्वारा ऐसा कोई अनुज्ञापत्र, परमिट व अनुज्ञापत्र उनके पास नही होना बताया। अतः मौके पर मिले उक्त 440 कटटे गेहूं शुद्ध वजन 219.45 क्विंटल को कालाबाजारी का मानते हूये जब्त

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

किया जाकर श्री धर्मवीर पीडएस प्रभारी केवीएसएस सूरतगढ व कालाबाजारी के उक्त कृत्य हेतु उपयोग में लाये गये दोनो ट्रेक्टर ट्राली नम्बर क्रमशः पी. बी. 47–5789 व पी.बी. 15 ए–9682 को पुलिस थाना शहर सूरतगढ की सुपुर्दगी में दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना सूरतगढ में एक एफ.आई.आर. संख्या 342/2014 भी दर्ज करवाई गई। इस प्रकार अमित चौधरी निवासी 78 पुराना बाजार सूरतगढ व अन्य दोनो ड्राईवरो ने सहयोग करके राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदाथ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की तथा विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका ने राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदाथ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 14 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 5(1) का उल्लंघन किया है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत सीजशुदा जब्त 219.45 क्विंटल गेहूं तथा दौ ट्रेक्टर ट्राली नम्बर क्रमशः पीबी 47–5489 व पीबी 15ए–9682 को राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

11– **आवश्यक** वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी भी नियम/अधिनियम की उनके द्धारा अवहेलना नही की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थीगण हरभजन सिंह, सन्नी सिंह व वाहन स्वामी लालचंद व देवीसिंह एवं अप्रार्थी अमित चौधरी ने अपने अपने लिखित जबाब के अतिरिक्त अपने बचाव में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार ने अपने जबाब के अतिरिक्त खाद्य विभाग का पत्र दिनांक 4.5.96, प्राधिकार पत्र सं0 674/2006 का प्रमाणीकरण दि0 11.04.14, स्टॉक रजिस्टर की प्रतियां एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु के विचाराधीन प्रकरण सं0 464/16 अनवानी सरकार बनाम अमित चौधरी में विजेन्द्रपाल के बयान दि0 18.05.17 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

12– **अप्रार्थीगण** संख्या 2 हरभजन सिंह जो कि ट्रेक्टर ट्राली पीबी 47–5489 का चालक है और अप्रार्थी संख्या 3 सन्नी सिंह जो कि ट्रेक्टर ट्राली पीबी 15ए–9682 का चालक है और इनके स्वामी क्रमशः लालचंद व देवीसिंह है एवं अप्रार्थीगण सूरतगढ़ में एफ.सी.आई. व अन्य व्यापारियों के यहां से गेहूं का उठाव करके उनके निर्देशानुसार स्थान पर पहुंचाते है। दिनांक 12.07.14 को उनके ट्रेक्टर ट्रालीयों को इस कारण से सीज किया गया है कि उठाया गया एफ.सी.आई. का गेहूं मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज रीको एरिया सूरतगढ़ में उतारा गया है। जबकि उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया गया था उनके ट्रेक्टर ट्राली का न तो कोई हाथ है और न ही कोई उल्लंघना की गयी है।

अप्रार्थीगण वाहन स्वामी लालचंद व देवी सिंह ने भी अपने जबाब में अंकित किया है कि वे उक्त वाहनो के रजिस्टर्ड स्वामी है और दिनांक 12.07.14 कटटे भारतीय खाद्य निगम से लादान करके उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका ले जा रहे थे और उनके द्वारा अमित चौधरी के लिए न तो कोई गेहूं प्राप्त किया और न ही चालकगण जानते थे। किसी अंजान व्यक्ति के कहने पर अन्यत्र स्थान पर नही ले जा सकते। उनकी किसी प्रकार से कोई बदनियति नही है।

उक्त अप्रार्थीगणो के कथनो के सन्दर्भ में मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के नाम प्राधिकार पत्र सं0 674/2006 जारी है और दिनांक 12.07.14 को भारतीय खाद्य निगम नई धानमण्डी सूरतगढ के ऑपन कैम्प से गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.14 जो ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 में 330 कटटे गेहूं के.वी.एस.एस. सूरतगढ के नाम है और इसके साथ ही एफ. सी.आई. की उक्त वाहन में गेहूं की तुलाई रसीद सं0 5727 जो गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.14 ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 से संबंधित है जिसकी **पुश्त पर विनोद सरदारपुरा बीका लिखा हुआ है।** धर्मवीर ने फर्द पुछताछ में यह बताया है कि वह क्रय विक्रय सहकारी समिति सूरतगढ में कैशियर एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का कार्य देखता है और उसने ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 में एफसीआई का गेट पास नम्बर 14396/09 दिनांक 12.07.14 को 330 बैग भारतीय खाद्य निगम मार्का अंकित गेहूं सरदारपुरा बीका के उचित मूल्य दुकानदार श्री विनोद कुमार को वितरण हेतु भेजा और वेयर हाउस की पर्ची के पीछे उसने विनोदकुमार सरदारपुरा बीका अपने हाथ से लिखा था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9— **अप्रार्थी श्री विनोद कुमार** उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के अभिभाषक श्री पूर्णराम घोड़ेला का कथन था कि अप्रार्थी विनोद कुमार के पास उचित मूल्य दुकान सरदारपुरा बीका का अनुज्ञापत्रधारक है। राज्य सरकार की डोर स्टेप योजना के तहत थोक विक्रेता की जिम्मेवारी उचित मूल्य दुकानदार के कार्य स्थल पर पहुंचाने की है और उचित मूल्य दुकानदार की प्राप्ति रसीद के पश्चात ही प्राधिकार पत्रधारक जुम्मेवार होता है। इससे पूर्व नही। तथाकथित गेंहू का उससे कोई संबंध नही है। उसके द्वारा गेहूं के लिए कोई पैसे जमा नही करवाये गये। इसलिए खाद्य आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 04.05.96 के अनुसार वह उक्त गेहूं के लिये जुम्मेवार नही ठहराया जा सकता। इसलिए धारा 6ए के तहत व धारा 3/7 के तहत उसके विरूद्ध गलत मुकदमा बनाया गया है। उसके द्वारा किसी प्रकार की किसी भी कानून की उल्लंघना नही की जा रही है। उसकी उचित मूल्य की दुकान के रिकार्ड और स्टॉक का प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सत्यापन करने पर कोई भी अनियमितता नही पाई गई है और उसका स्टॉक सही पाया गया है। संबंधित जांच निरीक्षक द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में दिये गये बयान 18.05.17 के अनुसार भी उसके विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

10— **मैने दोनो पक्षो के** तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ से सूचना मिलने पर दिनांक 12.07.14 को विजेन्द्र पाल प्रवर्तन निरीक्षक, सूरतगढ बहमराह देवेन्द्र आसेरी, प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेंहू के अवैध भण्डारण की जांच के लिए मै0 विकास इण्डस्ट्रीज जी—1/102 रिको एरिया, सूरतगढ पहुंचे तो **मौके पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ व नायब तहसीलदार सूरतगढ मय जाब्ता उपस्थित मिले व समस्त कार्यवाही इनकी उपस्थिती में की गई। मौके पर अमित चौधरी, निवासी 78—पुराना बाजार सूरतगढ उपस्थित मिला** तथा इन्होने स्वयं को मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी—1/102 रिको एरिया, सूरतगढ का प्रोपराईटर/मालिक होना बताया। मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के निरीक्षण में पाया कि फर्म द्वारा गेहू से आटा बनाने का कार्य किया जाता है। इनके द्वारा रामदेव भोग ब्राण्ड नाम से 5, 10, 20 व 50 कि.ग्रा. के बैग्स में आटा भरकर सूरतगढ व अन्य क्षेत्रो में विक्रय किया जाता है। इनकी फर्म द्वारा पिछले लगभग 6 वर्षो से यह कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर परिसर में आटा पिसाई कार्य हेतु कार्यरत हालात में चक्कीया भी लगी हुई पाई गई। मौके पर मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के गोदाम की जांच करने पर गोदाम में 330 कटट्े गेहूं के भरे हुये सीलबंद, एफसीआई मार्काशुदा मिले तथा 110 कट्टे गेंहू के एफसीआई मार्काशुदा ओर भी पाये गये। इस प्रकार

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

उक्त पर्चीयां मौके पर ड्राईवर हरभजन सिंह से बरामद की गई और इस पूछताछ फर्द पर धर्मवीर के हस्ताक्षर है और अमित चौधरी , विजेन्द्रपाल आदि के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त गेहूं जो गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.14 को भारतीय खाद्य निगम द्वारा 330 कटटे गेहूं जो ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 में लादान करवाकर रवाना किये गये है जो श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिये थे। उक्त गेहूं श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिए थी इसकी पुष्टि वाहन चालक हरभजनसिंह व सन्नीसिंह के जबाब से भी होती है।

13– **जहां तक अप्रार्थी अमित चौधरी** का कथन कि उसका उक्त गेहूं से कोई संबंध नही है और न ही उसके द्वारा उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका से गेहूं खरीदा है। उसके विरूद्ध गलत प्रकरण बनाया गया है।

इस सन्दर्भ में मैने अभिलेख में उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती दिनांक 12.07.14 का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 12.07.2014 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ की सूचना पर श्री विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया सूरतगढ मौके पर पहुंचे तो मौके पर पहले से ही श्री भवानी सिंह पंवार, उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ और श्री राधेश्याम मीणा नायब तहसीलदार व पुलिस जाब्ता उपलब्ध था और मौके पर मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया सूरतगढ में दो ट्रेक्टर ट्राली कमशः संख्या पीबी 57–5489 व पीबी 15ए–9682 खडे थे तथा दोनो ट्रक्टर ड्राईवर उपस्थित है और मौके पर ही श्री अमित चौधरी उपस्थित थे और उसके द्वारा अपन आपको मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रिको एरिया सूरतगढ का प्रोपराईटर एवं मालिक बताया और मौके पर अमित चौधरी ने FORM VAT-03 R.No. 0886365372 तथा अपना वोटर आई कार्ड प्रस्तुत किये। मौके पर मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज द्वारा गेहूं से आटा बनाने का कार्य किया जाता है तथा **'रामदेव भोग'** ब्राण्ड के नाम से 5, 10, 20, 50 किलो के बैग्स में भरकर सूरतगढ तथा अन्य जगह बेचा जाता है उनके द्वारा यह कार्य पिछले 6 साल से किया जा रहा है।

14– **उक्त प्रवर्तन** अधिकारी श्री विजेन्द्रपाल द्वारा उक्त मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के गोदाम की जांच करने पर गोदाम में 330 कटटे गेहूं भरे हुए सीलबंद एफसीआई मार्का के मिले और 110 कटटे गेहूं के भरे हुए एफसीआई मार्क के ओर भी पाये गये। इस प्रकार दिनांक 12.07.14 को गेट पास संख्या 14396/09 के द्वारा भेजे गये 330 कटटे एफसीआई मार्का गेहूं ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 में जो कि श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लिए थे और उक्त मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज का प्रोरपराईटर एवं मालिक श्री अमित चौधरी है जिसकी पुष्टि FORM VAT-03 R.No. 0886365372 से होती है और उक्त दस्तावेज उसी के द्वारा जब्ती के समय प्रस्तुत किये गये। उक्त FORM VAT-03 R.No. 0886365372 के रजिस्ट्रेशन से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा गेहूं का आटा बनाया जाकर बेचा जाता है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त फर्म अप्रार्थी द्वारा गेहूं की कालाबाजारी की जाती है और इसी दृष्टि से उचित मूल्य का गेहूं जो कि सस्ती दर पर उपलब्ध होता है को क्रय कर आटा बनाया जाकर महंगे दाम पर विक्रय किया जाता है। **चूंकि मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर/मालिक श्री अमित चौधरी के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को भण्डारण/विक्रय करने के लिए कोई प्राधिकार पत्र नही है इसलिए उक्त 330 कटटे गेहूं जो कि उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिए था को एवं अन्य 110 कटटे गेहूं भारतीय खाद्य निगम के मार्क शुदा थे जो वक्त जांच मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के गोदाम में मिले है को जब्त किया गया है। परिणाम स्वरूप फर्द मौका एवं जब्ती पर उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के हस्ताक्षरो के साथ साथ श्री अमित चौधरी मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज रीको एरिया सूरतगढ के एवं चालक हरभजन सिंह व सन्नी सिंह, राधेश्याम मीणा नायब तहसीलदार, विजन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी, धर्मवीर क.वी.एस.एस. सूरतगढ कर्मचारी आदि के हस्ताक्षर मौजूद है।** इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त 440 कटटे गेहूं वजन 219.45 क्विंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम का श्रीमति अमित चौधरी प्रोपराईटर मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज के गोदाम से मय दो ट्रेक्टर मय ट्रालीयों के जब्त किये गये है जो सही रूप से जब्त किये गये है। इसलिए राजसात करने योग्य है।

15– **जहां तक अप्रार्थी** श्री विनोदकुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के अभिभाषक का कथन कि डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली के अन्तर्गत नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पत्र दिनांक 04.05.96 के अनुसार उक्त जब्त शुदा गेहूं के लिए उसका कोई उत्तरदायित्व नही है और धारा 3/7 के संबंधित प्रकरण सं0 464/16 में मुख्य न्यायिक मजि0 के न्यायालय में श्री विजेन्द्रपाल जांच अधिकारी के दिये गये बयानो के अनुसार भी उसके विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

इस सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा का प्राधिकार पत्र संख्या 674/2006 है और दिनांक 12.07.14 को भारतीय खाद्य निगम नई धानमण्डी सूरतगढ के ऑपन कैम्प से गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.14 जो ट्रेक्टर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

ट्राली न0 पीबी 47–5489 में 330 कटटे गेहूं के.वी.एस.एस. सूरतगढ के नाम है और इसके साथ ही एफ.सी.आई. की उक्त वाहन में गेहूं की तुलाई रसीद सं0 5727 जो गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.14 ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 से संबंधित है जिसकी **पुश्त पर विनोद सरदारपुरा बीका लिखा हुआ है।** धर्मवीर ने फर्द पुछताछ में यह बताया है कि वह क्रय विक्रय सहकारी समिति सूरतगढ में कैशियर एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का कार्य देखता है और उसने ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 में एफसीआई का गेट पास नम्बर 14396/09 दिनांक 12.07.14 को 330 बैग भारतीय खाद्य निगम मार्का अंकित गेहूं सरदारपुरा बीका के उचित मूल्य दुकानदार श्री विनोद कुमार को वितरण हेतु भेजा और वेयर हाउस की पर्ची के पीछे उसने विनोदकुमार सरदारपुरा बीका अपने हाथ से लिखा था एवं ट्रेक्टर ट्राली चालक श्री हरभजन सिंह के जबाब में भी यह अंकित है कि उक्त गेहूं श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिए है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त गेहूं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है जो अप्रार्थी श्री विनोदकुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिए था सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को उसकी मांग अनुसार ही दिया जाता है। अप्रार्थी श्री अमित चौधरी उचित मूल्य दुकानदार नही है इसलिए उसे उक्त गेहूं दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता। चूंकि श्री अमित चौधरी, मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज का मालिक व प्रोपराईटर है और वह गेहूं का आटा बनाकर बेचने का कार्य करता है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं सस्ता होता है और इसे कालाबाजारी में महंगे दाम पर बेचा जाता है। जिससे स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका व वाहन चालको एवं श्री अमित चौधरी की आपसी मिली भगत से उक्त अवैद्य कार्य किया गया है। उक्त राजकीय परिपत्र के आधार पर एवं जब तक धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में संबंधित न्यायालय द्वारा दोष मुक्त नही कर दिया जाता, तब तक उक्त अवैद्य कार्य के लिए श्री विनोद कुमार अपनी जुम्मेवारी से मुक्त नही हो सकता।

चूंकि श्री विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार है और उसकी पूर्ण जुम्मेवारी है कि उसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को संबंधित उपभोक्ताओं को वितरण करता न कि किसी अन्य को कालाबाजारी में विक्रय करता। इस प्रकार अप्रार्थीगण अमित चौधरी, उक्त दोनो वाहन चालको ने सहयोग करके राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की स्पष्ट अवहेलना की है तथा विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका ने राज0 खाद्यान एवं

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 14 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के प्रावधानो की अवहेलना की है। इसलिए अप्रार्थी अमित चौधरी के गोदाम से जब्त किये गये 219.45 क्विंटल गेहूं मय ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 व पीबी 15ए–9682 को राजसात करना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अमित चौधरी के गोदाम से जब्त किये गये 219.45 क्विंटल गेहूं मय ट्रेक्टर ट्राली न0 पीबी 47–5489 व पीबी 15ए–9682 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने का आदेश दिया जाता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय दिनांक 6–2–2009** के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विभागीय प्रतिनिधि के अनुसार जब्त किये गये ट्रेक्टर ट्राली संख्या पीबी 47–5489 का अनुमानित मूल्य 60,000रूपये एवं ट्रेक्टर ट्राली संख्या पीबी 15ए–9682 का अनुमानित मूल्य 55,000रूपये बताया गया है। चूंकि उक्त दोनो वाहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त होने पाये गये है। इसलिए राजसात किये गये वाहन ट्रेक्टर ट्राली संख्या पीबी 47–5489 की एवज में 40,0000रूपये (अखरे चालीस हजार रूपये) एवं ट्रेक्टर ट्राली संख्या पीबी 15ए–9682 के लिए 35,000रूपये (अखरे पैतिस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात की गई उक्त गेहूं की राशि के अतिरिक्त है। यदि वाहन मालिक उक्त जुर्माना राशि अदा कर दे तो उक्त राजसात किये गये उक्त दोनो वाहन ट्रेक्टर ट्राली के उन्हे नियमानुसार सौंप दिये जावे। यदि वाहन मालिको द्धारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त दोनो वाहन ट्रेक्टर ट्रालीयों का राज्यपक्ष में निस्तारण करवावे। जब्त शुद्धा 219.45 क्विंटल गेहूं के अन्तरिम निस्तारण का आदेश सं0 1367 दिनांक 04.08.2014 जिला रसद अधिकारी को दिया हुआ है। जिला रसद अधिकारी उक्त 219.45 क्वि0 गेहूं की विक्रय राशि को अब स्थाई रूप से राज्यपक्ष में राजकोष में जमा करवावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

21– **यह आदेश** आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञान

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर